

लाभ का पद

प्रलिमिंस के लिये:

लाभ का पद, चुनाव आयोग, जनप्रतनिधित्व अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 102 (1), अनुच्छेद 191 (1), अनुच्छेद 164 (4), उच्च न्यायालय।

मेन्स के लिये:

लाभ का पद और संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [चुनाव आयोग](#) ने झारखंड के मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया कि उन्होंने 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर "लाभ का पद" धारण किया था।

- मुख्यमंत्री के ऊपर जनप्रतनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है।

'लाभ के पद' की अवधारणा:

- वधायिका के सदस्य के रूप में सांसद और वधायक सरकार को उसके काम के लिये जवाबदेह ठहराते हैं।
- लाभ के पद का कानून के तहत अयोग्यता का अर्थ है किये वधायक सरकार के तहत 'लाभ का पद' धारण करते हैं, तो वे सरकारी प्रभाव के लिये अतिसंवेदनशील हो सकते हैं और अपने संवैधानिक जनादेश का नषिपक्ष रूप से नरि्वहन नहीं कर सकते हैं।
- जसिका आशय यह है कि नरिवाचति सदस्य के कर्तव्यों और हतियों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिये।
- इसलिये लाभ का पद कानून केवल संवधान की बुनयादी वशिषता को लागू करने का प्रयास करता है-
 - वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत।

लाभ का पद:

परचिय:

- संवधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न न्यायालयी फैसलों में की गई व्याख्याओं द्वारा इसका अर्थ अवश्य स्पष्ट हुआ है।
- लाभ के पद की व्याख्या के अनुसार, पद-धारक को कुछ वत्तीय लाभ या बढ़त या हतिलाभ प्राप्त होते हैं।
 - ऐसे मामलों में इस तरह के लाभ की राशामहत्त्वहीन है।
- [सुप्रीम कोर्ट](#) ने 1964 में फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका नरिधारण उसकी नयुक्तकी जाँच द्वारा होगी।

नरिधारक कारक:

- क्या सरकार नयुक्त प्राधिकारी है
- क्या सरकार के पास नयुक्त समाप्त करने का अधिकार है
- क्या सरकार पारशिरमकि नरिधारति करती है
- पारशिरमकि का स्रोत क्या है
- शक्ति जो पद के साथ प्राप्त होती है

'लाभ का पद' धारण करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संवधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य वधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मनाही

है।

- अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि "किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है"।
- संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या वधियक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्त दी गई है।
- संसद ने भी संसद (अयोग्यता नविवरण) अधिनियम, 1959 अधिनियमि कयि है। जसिमें उन पदों की सूची दी गई है जनिहें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। संसद ने समय-समय पर इस सूची में वसितार भी कयि है।

सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित फैसले:

- सर्वोच्च न्यायालय के तीन नरिणयों के मददेनजर **जनप्रतनिधितिव अधनियमि, 1951 की धारा 9ए** के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषति कयि जा सकता है।
 - इस धारा के तहत माल की आपूरतिया सरकार द्वारा कयि गए कसि भी कार्य के नषिपादन के लयि अनुबंध करना होता है।
- 1964 में सीवीके राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि एक खनन पट्टा माल की आपूरतिकाे अनुबंध की राशि नहीं है।
- 2001 में करतार सहि भड्डाना बनाम हरि सहि नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट कयि कि खनन पट्टा सरकार द्वारा कयि गए कार्य के नषिपादन की राशि नहीं है।
- यदि **मुख्यमंत्री को कसि प्राधिकारी द्वारा अयोग्य** घोषति कयि जाता है, तो भी वह इसे **उच्च न्यायालय** में चुनौती दे सकता है और यह नरिणय **सर्वोच्च न्यायालय** के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा कयि जाना चाहयि।
 - **अनुच्छेद 164(4)** के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने छह महीने तक मंत्री रह सकता है।

वर्गित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. संसद (नरिहता नविवरण) अधनियमि, 1959 'लाभ के पद' के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधनियमि में पाँच बार संशोधन कयि गया है।
3. 'लाभ का पद' शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह से परभाषति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

- संसद (नरिहता नविवरण) अधनियमि, 1959 कई पदों को अयोग्यता से मुक्त करता है, जैसे: [?]राज्य मंत्री और उप मंत्री [?] संसदीय सचवि और संसदीय अवर सचवि [?] संसद में उप मुख्य सचेतक [?]वशिववदियालयों के कुलपति [?]राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं प्रादेशकि सेना में अधिकारी और [?] सरकार द्वारा गठति सलाहकार समतियों के अध्यक्ष व सदस्य जब वे प्रतपूरक के अलावा कसि भी शुल्क या पारश्रमकि आदि के हकदार नहीं होते हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
- इस अधनियमि को इसके नरिमाण के बाद से 5 बार- वर्ष 1960, 1992, 1993, 2006 और 2013 में संशोधति कयि गया है **अतः कथन 2 सही है।**
- भारत का संविधान लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परभाषति नहीं करता है, लेकिन वभिन्न न्यायालयों के नरिणयों में की गई व्याख्याओं के साथ इसकी परभाषा वर्षों में वकिसति हुई है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
- **अतः वकिल्प (A) सही उत्तर है।**

स्रोत: द हट्टि